दिस लैंड इज माइन

लेखक- हर्ष मंदर (मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

11 दिसम्बर, 2019

"यदि संसद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करती है, तो भारत की संवैधानिक संरचना जैसा कि हम जानते हैं वह अपनी आत्मा खो देगी।"

लगातार घेराबंदी के बावजूद भारत के संविधान का भवन अब तक स्थायी बना हुआ है। हालाँकि यदि संसद नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करती है, तो भारत की संवैधानिक संरचना बिखर जाएगी, इसलिए हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। संविधान को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से इसकी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। इसके मलबे से एक नया राष्ट्र निकलेगा जो क्रोधी, शक्तिपूर्ण, बहुसंख्यक और अपने अल्पसंख्यकों के लिए अमानवीय व्यवहार करने वाला होगा।

भारत से संबंधित यह विधेयक अधिकारों के पेचिदा प्रतियोगिताओं पर आधारित है। कौन भारत से संबंधित है और किन शर्तों पर? और वास्तव में भारत किसका है? एक युवा बंगाली मूल के असमिया कवि काजी नील ने कहा है कि "यह भूमि मेरी है लेकिन मैं इस जमीन का नहीं हूँ।" वह भारत से प्यार करता है, लेकिन भारत उसे अपना नहीं मानता।

नागरिकता अंततः अधिकार पाने का अधिकार है। इस देश में किसके पास अधिकार होने चाहिए और ये किससे वापस लेने चाहिए?

इन भयावह सवालों का जवाब भारतीय संविधान के मानवतावादी और समावेशी ढाँचे के भीतर बसा था। इसका इंद्रधनुषी केंद्रीय आधार यह था कि धार्मिक आस्था का भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत अपने मुस्लिम, ईसाई और पारसी निवासियों के लिए उतना ही समान है, जितना कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए है।

धर्म से संबंधित सवाल ने भारत को अलग कर दिया है। मुस्लिम लीग ने धर्म को नागरिकता की कुंजी माना, इसलिए भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र (हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान) में बँट गया। वी. डी. सावरकर ने इस पर सहमति व्यक्त की। भारत की संविधान सभा ने इस विचार को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया कि भारत केवल हिंदू बहुमत का राष्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, कि 'हम भारतीय के रूप में उन सब को स्वीकार करते हैं जो खुद को भारत का नागरिक कहते हैं।'

नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को पेश करके, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने जानबूझकर पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया है, पुराने भय, चिंताओं और विभाजन की घृणा को फिर से पुनर्जीवित किया है। यह विधेयक धार्मिक विश्वास के आधार पर नागरिकता का एक पदानुक्रम बनाकर, इस पदानुक्रम से मुसलमानों को छोड़कर, दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। पेश किया गया विधेयक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को शरण देने का इरादा रखता है। यदि धार्मिक उत्पीड़न वास्तव में भारतीय नागरिकता के लिए पात्रता का पैमाना बन गया है, तो कुछ पड़ोसी देश जैसे- पाकिस्तान में अहमदिया जिन्हें मस्जिद में पूजा करने के लिए मौत का भी सामना करते पद जाता है, वहीं रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार से जूझ रहे हैं और चीन में उइगर लोग नजरबंदी शिविरों में मारे जा रहे हैं।

1987 तक, भारतीय नागरिकता के योग्य होने के लिए भारत में पैदा होना किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त आधार बना हुआ था। फिर बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन का आरोप लगाते हुए लोकलुभावन आंदोलनों द्वारा नागरिकता कानूनों को पहले संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें कम से कम माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना आवश्यक बनाया गया। 2004 में इस कानून में यह संशोधन किया गया कि केवल माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना आवश्यक नहीं है बल्कि इनमें से किसी को भी अवैध आप्रवासी नहीं होना चाहिए।

NRC के साथ देश और असम की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की बेचैनी यह है कि उन्होंने मुस्लिमों की तुलना में बंगाली मूल के हिंदुओं की एक बड़ी संख्या को इससे बाहर रखा गया है। यदि उन्हें अवैध आप्रवासियों के रूप में आंका जाता है तो न केवल वे, बल्कि उनकी संतानें 2004 के संशोधन के कारण अवैध हो जाएंगी। सीएबी अकेले ही भाजपा को इस सियासी घमासान से उबार सकती है। यह बंगाली हिंदुओं को शरणार्थी के रूप में मानेंगे और केवल बंगाली मूल के मुसलमान और उनकी बाद की सभी पीढ़ियाँ अवैध हो जाएंगी, भले ही वे भारत में पैदा हुए हों और किसी अन्य देश को अपने घर के रूप में न जानते हों।

बंगाली मूल के हिंदुओं, जिन्हें असम एनआरसी से बाहर रखा गया है, को बांग्लादेश से उत्पीड़ित शरणार्थियों के रूप में व्यवहार करने के लिए आधिकारिक विश्वास के कई असाधारण चरणों की आवश्यकता होगी। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने किसी आधिकारिक मंच – एनआरसी कार्यालयों, विदेशियों के न्यायाधिकरणों या पुलिस स्टेशनों में दावा नहीं किया होगा कि वे अवैध बांग्लादेशी आप्रवासी हैं। उन्होंने पूरी तरह से इसके विपरीत कार्य करने की कोशिश की होगी। लेकिन CAB के बाद भारतीय नागरिकता को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें भारतीय नागरिकता के योग्य होने के लिए विदेशी होने का दावा करना होगा और इनके द्वारा दिए जाने वाले सबूतों पर कई सवाल भी उठाए जाएंगे।

वे कैसे साबित करेंगे कि वे पड़ोसी देशों के नागरिक थे और उन्हें सताया गया था? सच्चाई यह है कि इनमें से अधिकांश ने किसी भी सीमा को पार नहीं किया था लेकिन दस्तावेजों को पेश करने में असमर्थ थे और अधिकारियों को संतुष्ट करने में विफल रहे कि वे भारतीय नागरिक थे।

CAB राष्ट्रीय NRC का अग्रदूत है। CAB को प्रभावी ढंग से पारित करके सरकार स्पष्ट रूप से संदेश दे रही है कि मुसलमानों को छोड़कर किसी भी पहचान के लोग आवश्यक दस्तावेजों को पेश करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें शरणार्थियों के रूप में स्वीकार किया जाएगा और नागरिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि वे NRC के बाद CAB के आ जाने से नागरिकता साबित करने का असली बोझ मुसलमानों पर आ जाएगा, साथ ही उन इन पर राज्यविहीन होने का खतरा बना रहेगा।

अधिकांश भारतीयों के लिए अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जुटाना असंभव हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि केवल कम दस्तावेज होने के कारण मुसलमानों को अवरोध का सामना करना पड़ेगा या उनके सभी नागरिकता अधिकारों को छीन लिया जाएगा।

अब सवाल यह उठता है कि यदि नागरिकता की कल्पना दस्तावेजों में निहित है तो कौन से दस्तावेज मेरे धर्म को साबित करेंगे? वर्तमान में, यह केवल किसी व्यक्ति द्वारा निर्णायक जनगणना के दौरान की गई घोषणा है जो किसी व्यक्ति के धार्मिक अनुनय का आधिकारिक प्रमाण है। मैं किसी एक धर्म मे पैदा हो सकता हूँ और वयस्क होने पर इसे अस्वीकार भी कर सकता हूँ।

मै उस माता-पिता से पैदा हो सकता हूँ जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर धर्म किसी के नागरिक होने या नहीं होने का आधार बनता है, तो वह कौन सा दस्तावेज होगा जिस पर राज्य यह तय करेगा कि मैं एक शरणार्थी हूँ या उसे मुझे हिरासत केंद्र में भेज दिया जाना चाहिए?

धर्म के आधार पर समानता और गैर-भेदभाव की गारंटी पर निर्मित एक गणतंत्र के लिए किसी व्यक्ति की अपनी धार्मिक पहचान के कारण विशेष रूप से राज्यविहीन व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना निश्चित रूप से भारत के धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र को तहस-नहस कर देगा।

CAB-NRC भारत के एक गणतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ लड़ा जाना चाहिए। इस संघर्ष की रूपरेखा को वी द पीपल द्वारा हल किए जाने की आवश्यकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **नागरिकता संशोधन बिल-2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

   1. इस विधेयक को राज्यसभा में पेश होने से पहले ही उच्चतम न्यायालय ने 'समता के अधिकार' का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया है।
   2. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद उन गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान हो जायेगा जो राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (NRC) से बाहर हो गये हैं।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of the Citizenship Amendment Bill-2019.**

   1. Even before this Bill is tabled in Rajya Sabha, the Supreme Court has repealed it as a violation of 'Right to Equality'.
   2. After the enactment of this bill, it will be relatively easy to get citizenship for those non-Muslim people who have been excluded from the National Citizen Register.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2

   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 10 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में संसद की पटल पर रखे गए नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 की संवैधानिकता और इसकी नैतिकता दोनों पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। इस कथन के संदर्भ में प्रस्तावित विधेयक से जुड़े प्रमुख विवादों की चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The Citizenship Amendment Bill, which was recently laid on the table of the Parliament has been questioned both on ground of constitutionality and its ethics. Discuss the major disputes related to the proposed bill in the context of this statement. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।